बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

–अधिसूचना–

दिनांक.....................2017

ज्ञापांकः–4/वि1–10–03/2016, गृ0आ0........................../

बिहार पुलिस अधिनियम 2007 (अधिनियम 7, 2007) की धारा 55 सह पठित धारा–94 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के नियम 663 में इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि के प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

संशोधन

(नियम 663)

1. बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के नियम 663 में नये उप–नियम का जोड़ा जाना।–नियम 663 के उपनियम (घ) के पश्चात् निम्नलिखित नया उपनियम (ङ) जोड़ा जायेगा :–

" (ङ) (i). पुलिस महानिदेशक का कार्यालय एवं संलग्न कार्यालयों में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु पुलिस मुख्यालय स्तर पर निम्न प्रकार से केन्द्रीय अनुकम्पा समिति का गठन किया जायेगा–

(क)	अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय)	अध्यक्ष
(ख)	पुलिस महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी –	सदस्य
(ग)	पुलिस उप–महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी –	सदस्य
(घ)	पुलिस महानिरीक्षक के सहायक स्तर के पदाधिकारी–	सदस्य

[सदस्यों का मनोनयन पुलिस महानिदेशक द्वारा किया जायेगा, जिनमें एक पदाधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अवश्य होंगे।]

(ii) प्रक्षेत्र/क्षेत्र/जिला/वाहिनी/पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र आदि कार्यालयों के लिए अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु निम्न प्रकार से जिला अनुकम्पा समिति का गठन किया जायेगा–

(क) संबंधित वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा/प्राचार्य – अध्यक्ष

(ख) पुलिस उपाधीक्षक स्तर के दो पदाधिकारी, जिन्हें संबंधित पुलिस उप–महानिरीक्षक के द्वारा मनोनीत किया जायेगा तथा जिनमें से एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अवश्य होंगे। – सदस्य

(iii). उप–कंडिका (i) एवं (ii) के अधीन गठित अनुकम्पा समितियाँ राज्य पुलिस के अधीन सिपाही (ग्रेड पे–रू. 2000/–) तथा 2000/– रुपये से कम ग्रेड पे वाले समूह 'ग' एवं 'घ' के अन्य पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा करेगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(रंजन कुमार सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः—4/वि1—10—03/2016, गृ0आ0........................../   दिनांक......................2017

प्रतिलिपि :— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना —07/प्रभारी ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना की 1000 अतिरिक्त प्रतियाँ कार्यालय प्रयोग हेतु गृह विभाग (आरक्षी शाखा) को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/—
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः—4/वि1—10—03/2016, गृ0आ0 4229/   दिनांक 23.05..2017

प्रतिलिपि :— पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि बिहार पुलिस हस्तक में राज्य सरकार के आदेशानुसार संशोधित अंश को प्रतिस्थापित/अन्तःस्थापित करने करने की कार्रवाई की जाय।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 6860/पी03
43—38—93—2013
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांकः— 13-6-2017

प्रतिलिपि :—

1. सभी पुलिस महानिदेशक, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी अपर पुलिस महानिदेशक (इकाई/वाहिनी सहित) बिहार, को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. सभी पुलिस महानिरीक्षक (इकाई/वाहिनी सहित), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. सभी पुलिस उप—महानिरीक्षक(इकाई/वाहिनी सहित),बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक (इकाई/वाहिनी सहित)/सभी समादेष्टा,सैन्य पुलिस/सहायक निदेशक,बिहार पुलिस अकादमी/सभी प्राचार्य, सिपाही प्रशिक्षण केन्द्र, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
6. पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण/निरीक्षण/क्यू0), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, महानिदेशक, नियंत्रण कक्ष को संबंधित को प्रेषण करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
8. आई0टी0मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

7.6.17
पुलिस महानिरीक्षक (बजट/अपील/कल्याण)
बिहार, पटना